बिहार सरकार

अर्थ एव साख्यिकी निदेशालय

(योजना एव विकास विभाग)

का०आ०स०–स्था०1/आ०2–24/15 328 पटना, दिनाक 26.09.18

कार्यालय आदेश

श्रीमती अलका सिन्हा, तत्कालीन अंचल अधिकारी,मनेर प्रखड, पटना सम्प्रति कनीय साख्यिकी सहायक, गुप्तवार्त्ता ईकाई प्रशाखा, निदेशालय (मुख्यालय) सम्प्रति प्रतिनियुक्त बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के विरूद्ध राजस्व एव भूमि सुधार विभाग के पत्रांक–760 दिनांक–25 06.2015 के साथ सलग्न जिला पदाधिकारी, पटना के पत्राक–849 दिनाक–25.03.2015 के आलोक मे निदेशालय के का०आ०स०–250 सहपठित ज्ञापांक–1648 दिनाक–07.10 2015 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही मे अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), पटना को सचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

2 अपर समाहर्त्ता, (विभागीय जॉच), पटना–सह–संचालन पदाधिकारी, पटना द्वारा पत्राक–95 दिनाक– 29 06.2017 के माध्यम से श्रीमती अलका सिन्हा के विरूद्ध सचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवदेन समर्पित किया गया है, जो निम्नाकित है:–

कंडिका–1 सलग्न तथ्यो एवं साक्ष्यों, आरोपी के कारणपृच्छा एवं इसके समर्थन मे दाखिल साक्ष्य आदि का परीक्षण एव परिशीलन से स्पष्ट है कि अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के द्वारा दिए गए निदेश के बावजूद भी आरोपी द्वारा नगर पंचायत, मनेर के सामान्य बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई । यह स्पष्ट रूप से वरीय पदाधिकारी के आदेश का अवहेलना/अनुशासनहीनता एव स्वेच्छाचारिता है। यदि बैठक बुलाने मे कोई वैधानिक समस्या थी, तो उन्हे अनुमडल पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी, पटना से स्वय मिलकर या पत्र द्वारा अपनी बात रखनी चाहिए थी, परन्तु उनके द्वारा ऐसा नही किया गया।

आरोपी पर इस कंडिका में गठित आरोप प्रमाणित होता है।

कंडिका–2 आरोपी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नही है क्योकि सलग्न तथ्यो एव साक्ष्यो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आरोपी द्वारा सूफी महोत्सव के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में अपने दायित्वो का निर्वहन ठीक ढग से नही किया गया, जिस कारण महोत्सव को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये जाने में जिला प्रशासन को काफी कठिनाई हुई, फलस्वरूप जिलापदाधिकारी, पटना को उनके विरूद्ध प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,बिहार, पटना को प्रतिवेदित करना पड़ा।

आरोपी पर इस कंडिका में गठित आरोप प्रमाणित होता है।

कंडिका–3 आरोपी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नही है, क्योकि अगर प्रखड विकास पदाधिकारी द्वारा अपर समाहर्त्ता के आदेश एव उनके बार–बार अनुरोध के बावजूद भी कमरा आवटित नही किया जा रहा था, उन्हे इस मसले को शान्ति–पूर्ण ढग से वार्त्ता कर सुलझा लेना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा बिना आपसी समन्वय स्थापित किए कार्य किया गया, जिससे कार्यालय कार्य मे व्यवधान उत्पन्न हुआ, जो अनुशासनहीनता एव स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

इस प्रकार आरोप पत्र में गठित सभी आरोप प्रमाणित होता है।

3. बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के तहत नियम 18 के प्रावधानो के तहत सचालन पदाधिकारी के आरोप प्रमाणित पाये जाने के प्रतिवेदन पर श्रीमती अलका सिन्हा से अभ्यावेदन प्राप्त

किया गया । अपने अभ्यावेदन मे श्रीमती अलका सिन्हा ने यह उल्लेख किया है कि (I) अधिनियम की सुसगत धारा के उचित पालन हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम की सेवा संहिता के अनुसार दिशा–निदेश हेतु वरीय पदाधिकारियों को पत्राचार किया। (II) आरोप में यह वर्णित नही है कि उनके किन कोताहियो की वजह से क्या परेशानी पैदा हुई। (III) अपने अधीनस्थ कर्मचारियो की सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए कुछ कुर्सी, टेबुल रखवाया गया, परन्तु विरोध होने पर उसे हटवा दिया गया।

इस प्रकार उनके द्वारा उन्ही तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो उन्होने सचालन पदाधिकारी के समक्ष अपने स्पष्टीकरण में दिया था, जिसके समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

इनके अभ्यावेदन से स्पष्ट होता है कि बैठक बुलाने में यदि कोई वैधानिक समस्या थी, तो उन्हे अनुमडल पदाधिकारी, दानापुर/जिला पदाधिकारी, पटना से स्वयं मिलकर समस्या का समाधान करना चाहिए था जो इनके द्वारा नही किया गया, सूफी महोत्सव के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में अपने दायित्वो का निर्वहन ठीक ढग से नही किया गया एव प्रखड विकास पदाधिकारी के साथ बिना आपसी समन्वय स्थापित किये कार्य किया गया। अतः इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

4 सचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती अलका सिन्हा पर प्रमाणित आरोप के लिए सचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि रोकने का दड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्रीमती अलका सिन्हा, तत्कालीन अंचल अधिकारी,मनेर प्रखड, पटना सम्प्रति कनीय साख्यिकी सहायक, गुप्तवार्त्ता ईकाई प्रशाखा, निदेशालय (मुख्यालय) सम्प्रति प्रतिनियुक्त बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के प्रावधानों के तहत सचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि रोकने का दड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिह)

निदेशक

ज्ञापाक :– स्था०1/आ०2–24/2015 1950 पटना, दिनांक : 26-09-18

प्रतिलिपि :– सचिव के आप्त सचिव, योजना एव विकास विभाग,बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, पटना को उनके पत्रांक–849 दिनाक–25.03.2015 के प्रसंग मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. अवर सचिव,बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4 कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला साख्यिकी पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6 सहायक निदेशक(स्थापना/आहरण एव व्ययन) निदेशालय, मुख्यालय को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7 श्री सुदामा प्रसाद, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार,पटना को निदेशालय के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8 श्रीमती अलका सिन्हा, कनीय सांख्यिकी सहायक, गुप्तवार्त्ता ईकाई प्रशाखा, निदेशालय, मुख्यालय सप्रति प्रतिनियुक्त बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

03107 स्था0 1 (07 मई 2018)